



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21100

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2064 वर्ष 2026

कृष्णपाल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनुज श्रीवास्तव, मानस त्रिपाठी, समर्थ मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 103(1), 351(3) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - रामाला, जिला - बागपत के तहत मुकदमा अपराध संख्या 296/2025 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-आरोपियों का शिकायतकर्ता के बेटे से झगड़ा हुआ। इस घटना से क्रोधित होकर, आवेदक और अन्य सह-आरोपी मृतक के घर आए और लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से उस पर हमला किया। एफआईआर में विशेष रूप से कहा गया है कि राजीव ने मृतक के पेट में चाकू से वार किया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि राजीव को छोड़कर सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य और व्यापक आरोप हैं, राजीव का मामला अन्य सह-आरोपियों से अलग है। आगे यह तर्क दिया गया है कि समान स्थिति वाले सह-आरोपी अंशु को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 22.1.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2260/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। आवेदक की भूमिका सह-आरोपी की भूमिका से भिन्न नहीं है, इसलिए आवेदक समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 28.11.2025 से जेल में बंद है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है और यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. समान परिस्थितियों में फंसे सह-आरोपी को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, सजा की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 3 एससीसी 22** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक **कृष्णपाल**, जो मुकदमा अपराध संख्या 296/2025 में धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 103(1), 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोपी है, पुलिस स्टेशन - रामाला, जिला - बागपत, को एक व्यक्तिगत मुचलका और दो भारी जमानतदारों को समान राशि में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।
- (iv). आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v). आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

29 जनवरी 2026

एस एस

(न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।